बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4(मु0) 3054 –01–18 / 2022 . 23 / पटना, दिनांक–26/5/2022
प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विषेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड– 37–3054–04–105–001)) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में कॉलम– 6 एवं 7 में अंकित लंबाई एवं राशि के लिये पथवार पूर्ण पुर्नस्थापन हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Sl.NO	Name of Division	Block	Name of Road	Total length (In Km)	Damaged Length (in Km)	Technically Approved Amount (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sherghati	Gurua	Construction of Vented Causeway from Gaya-Sherghati Road to Dadu Barma	3.280	0.050	46.50917
2	Bikramganj	Bikramganj	Ara- Sasaram PWD Road-Niuga Khelariya Upto Karakat PWD Road(2.20Km)	13.930	0.050	42.34000
3	Jehanabad	Kako	Barawan Road to Selempur via Bibipur	2.250	0.455	17.54300
4	Jehanabad	Jehanabad	Construction of Protection work in Irki to Titai Bigha Road	3.000	0.020	1.83500
5	Aurangabad	Aurangabad	Culvert 1000 Dia and 600 Dia H.P from L056 Sanda Dumari Road to Gangatua	0.100	0.020	6.37200

S.kumar 6 26/5/2022

Sl.NO	Name of Division	Block	Name of Road	Total length (In Km)	Damaged Length (in Km)	Technical Approved Amount (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7
6	Aurangabad	Nabinagar	Restoration of Road & Culvert of T04 to Parsa Ganesh	0.050	0.035	4.31500
7	Aurangabad	Barun	Construction of RCC Slab Culvert on L061- T04 to Tendua Road Size-2Nosx5mx3m)	3.156	0.050	34.66800
8	Aurangabad	Nabinagar	Restoration of Road & Culvert of Tetaria Hussainabad Road to Bahuara Gamhariya	10.050	0.020	11.10550
Total				35.816		164.68767

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी, विक्रमगंज, जहानाबाद एवं औरंगाबाद योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/ विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरांत पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0–4(मु0) 3054 –04–147/2022 में दिनांक 20.04.2022 एवं 27.04.2022 को प्राप्त है।
4. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
5. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यत की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिष्चित किया जायेगा।
6. एकारारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भ योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
7. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि क उपलब्धता के आधार पर विभाग के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकास की जायेगी।
8. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन कि जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित रा की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
9. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद नहीं।
10. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चि किया जायेगा।

26/5/2022

11. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।

12. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगें।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका – मु0अ0–4(मु0) 3054 –01–18/2022 के पृ0– 4/टि0 पर दिनांक –26.5.2022 को प्राप्त है।

14. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना दिनांक 26.5.2022 को संचिका संख्या – मु0अ0–4(मु0) 3054 –01–18/2022 में अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

26/5/2022

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– मु0अ0–4(मु0) 3054 –01–18/2022 - 83 /पटना, दिनांक–26/5/22

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– मु0अ0–4(मु0) 3054 –01–18/2022 - 83 /पटना, दिनांक–26/5/2022

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–1** एवं **4**, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को **MIS** में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/5/2022

विशेष सचिव

Rashmi A. Kumar 6